न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चाकसू जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— ओम प्रकाश सहारण **R.A.S.**

मुकदमा नम्बर :— 04/2018 निर्णय दिनांक :— 15/3/2019

<u>उनवान</u>

1. पांचू पुत्र सूजाराम जाति जाट निवासी ग्राम हरिबल्लभपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर।

—प्रार्थी—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर

—अप्रार्थी—

प्रार्थना पत्र रिकॉर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम

प्रार्थी की ओर से वाद पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया कि वादग्रस्त आराजी भूमि जिसके खसरा नम्बर 356 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 357 रकबा 0.14 है0, खसरा नम्बर 358 रकबा 0.06 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.23 है0 एवं खसरा नम्बर 8 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 9 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 10 रकबा 0.03 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.09 है0 एवं खसरा नम्बर 11 रकबा 0.83 है0, खसरा नम्बर 12 रकबा 0.15 है0, खसरा नम्बर 13 रकबा 0.21 है0, खसरा नम्बर 282 रकबा 0.87 है0, खसरा नम्बर 311 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 312 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 313 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 352 रकबा 0.39

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.15 17:03:24 IST
Reason: SelfAttested

है0, खसरा नम्बर 353 रकबा 0.33 है0, खसरा नम्बर 354 रकबा 0.25 है0, खसरा नम्बर 355 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 365 रकबा 0.14 है0, खसरा नम्बर 366 रकबा 0.36 है0, खसरा नम्बर 418 रकबा 0.36 है0, खसरा नम्बर 419 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 420 रकबा 0.15 है0, खसरा नम्बर 421 रकबा 0.51 है0, खसरा नम्बर 429 रकबा 0.46 है0, कुल किता 18 कुल क्षेत्रफल 5.36 है0 एवं जिसके खसरा नम्बर 283 रकबा 0.14 है0, खसरा नम्बर 363 रकबा 0.03 खसरा नम्बर 364 रकबा 0.10 कुल किता 3 कुल क्षेत्रफल 0.27 है0 जो वाके ग्राम हरिबल्लभपुरा पटवार हल्का तामडिया तहसील चाकसू जिला जयपुर में स्थित है। जिस पर प्रार्थी अपने हिस्से की खातेदारी भूमि पर काबिज काश्त है और लगातार उसका हर प्रकार से उपयोग उपभोग कर रहा है।

वादग्रस्त आराजी के प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में पांचू पुत्र सुजाराम व पांचू उर्फ पांच्या पुत्र नन्हया के नाम से दर्ज हो गया। पांचू पुत्र सूजाराम एवं पांचू उर्फ पांच्या पुत्र नहन्या के नाम से दर्ज हो गया। पांचू पुत्र सूजाराम एवं पांचू उर्फ पांच्या पुत्र नहन्या एक ही नाम का व्यक्ति है इस प्रकार प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में पांचू पुत्र सूजाराम व पांच्या पुत्र नहन्या अंकित हो गया है जबकि प्रार्थी का नाम पांचू पुत्र सूजाराम है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेज परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, व अन्य दस्तावेजों में भ्झी प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम पांचू पुत्र सूजाराम दर्ज है। प्रार्थी के सरकारी दस्तावेजों में भी यही नाम है।

प्रार्थी का राजस्व रिकॉर्ड में नाम का अंकन पांच्या पुत्र नहन्या दर्ज हो गया है जो सहवन त्रुटि से दर्ज हो गया है। प्रार्थी का नाम पांचू पुत्र सूजाराम के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में नाम अंकन होना चाहिए है इसी नाम से प्रार्थी के अन्य सरकारी दस्तावेज बने हुए है तथा उनमें यही नाम है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.15 17:03:24 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का वास्वतिक व सही नाम पांचू पुत्र सूजाराम है इस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में पांचू पुत्र नहन्या जमाबन्दी में गलती से इन्द्राज हो गया है पांचू पुत्र नहन्या के स्थान पर पांचू पुत्र सूजाराम अंकित किया जावे। जिससे प्रार्थी को उक्त भूमि के संबंध में के.सी.सी. कार्ड इत्यादि बनाने में परेशानी आ रही है तथा बैंक से के.सी.सी. लेने हेतु अपने आधार कार्ड से लिंक करवाने हेतु दिनांक 27.11.2017 को बैंक में गया तो बैंक वालों ने आधार कार्ड से जोडने एवं लोन देने से मना कर दिया। इस कारण राजस्व रिकॉर्ड में इसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में पांच्या पुत्र नहन्या के स्थान पर पांचू पुत्र सूजाराम दर्ज किया जावे। राजस्व रिकॉर्ड में इसी प्रकार शुद्धि किये जाने में किसी प्रकार की काई कानूनी अडचन उत्पन्न नहीं होगी तथा भविष्य में उत्पन्न होने वाली पैचीदगियों से भी बचा जा सकेगा।

वादग्रस्त आराजी वर्णित मद नं. 01 के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम सहवन त्रुटि से अधूरा नाम पांच्या पुत्र नहन्या दर्ज हो गया है जिसके स्थान पर पांचू पुत्र सूजाराम अंकित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में नाम का शुद्धिकरण किया जावे। इस हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी की जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत वकील प्रार्थी द्वारा किये जाने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया तो अप्रार्थी पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र का जवाब सरकार इस प्रकार पेश किया गया कि

मद 1 के प्रथम भाग के कम में वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार ग्राम हरिबल्लभपुरा सम्वत् 2070–73 के खाता संख्या 34, 35, 36, 37, 38, 39 में हिस्सानुसार (मुताबिक जमाबन्दी) पांचूराम पुत्र सूजाराम व पांचू पुत्र नहन्या जाति जाट के नाम भूमि दर्ज है। द्वितीय भाग प्रार्थी स्वयं सिद्ध करे।

मद 2 पुख्ता साक्ष्यों के प्रार्थी स्वयं सिद्ध करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.15 17:03:24 IST
Reason: SelfAttested

मद 3 का प्रथम भाग अस्वीकार है। शेष प्रार्थी स्वयं सिद्ध करे।

मद 4 प्रार्थी पुष्ट साक्ष्यों के स्वयं सिद्ध करे।

मद 5 ता 7 विधिक है।

जवाब सरकार के साथ पटवारी हल्का की रिपोर्ट पेश की गयी जो इस प्रकार है कि :—

ग्राम हरिबल्लभपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2070—2073 के खाता नम्बर 34, 35, 36, 38, 37, 39 में पांचूराम पुत्र सूजाराम व पांचू पुत्र नहन्या जाति जाट के नाम खातेदारी दर्ज है।

ग्राम वासियों के बताये अनुसार सूजाराम व नहन्या दो भाई थे। नहन्या नाऔलाद फौत हो गया। सूजाराम के बेटे पांचूराम के नाम नहन्या की पगडी बनी थी, इसलिए नहन्या की भूमि का नामान्तकरण पांचूराम के नाम खुल गया तथा सूजा की मृत्यु के बाद सूजी की विरासत भी पांचूराम के नाम खुल गया। इस प्रकार भूमि पांचूराम पुत्र सूजा व पांचू पुत्र नहन्या के नाम भूमि नाम हो गई। पांचूराम एक ही व्यक्ति है। परन्तु उसके पिता दो अलग—अलग पांचूराम पुत्र सूजा व पांचू पुत्र नहन्या हो गया।

प्रार्थी का नाम राशन कार्ड, आधार कार्ड, ग्राम पंचायत तामडिया के अनुसार प्रार्थी का नाम पांचूराम पुत्र सूजाराम जाति जाट दर्ज है।

जवाब सरकार पेश होने पर बहस प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी की सुनी गयी तो दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि सूजाराम व नहन्या एक ही व्यक्ति है सूजाराम व नहन्या दो भाई थे नहन्या नाऔलाद फौत होने पर सूजाराम के बेटे पांचूराम के नहन्या की पगडी बंधी। नहन्या की भूमि का नामान्तकरण पांचूराम के नाम खोलते वक्त नहन्या के पिता का नाम सूजाराम के स्थान पर नहन्या दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.15 17:43:24 IST
Reason: SelfAttested

हो गया। जबकि सूजाराम दर्ज होना चाहिए था। प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तहसीलदार व पटवारी की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने ग्राम हरिबल्लभपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 के खाता संख्या 34, 35, 36, 38, 39 के सरपंच ग्राम पंचायत तामडिया का प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, शपथ पत्र बतौर दस्तावेज पेश किये गये।

वकील प्रार्थी की बहस पर गौर किया व प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तो सूजाराम व नहन्या दो भाई थे, नहन्या नाऔलाद फौत होने पर नहन्या का विरासत का नामान्तकरण सूजाराम के लडके पांचूराम के नाम खोला गया, किन्तु पिता का नाम सूजाराम के स्थान पर नहन्या दर्ज कर दिया गया जबकि पांचूराम के पिता का नाम सूजाराम दर्ज किया जाना च. हेए था। सरपंच रिपोर्ट अनुसार पांचू पुत्र नहन्या व पांचू पुत्र सूज्या एक ही व्यक्ति है। स्वयं का शपथ पत्र एवं अन्य दस्तावेजात राशन कार्ड, आधार कार्ड में भी पांचूराम पुत्र सूजाराम दर्ज होने से प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान टेनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 356 से 358 रकबा 0.23 है0, व खसरा नम्बर 8, 9, 10 किता 3 रकबा 0.09 है0, व खसरा नम्बर 11, 12, 13, 282, 311, 312, 313, 352 से 355, 365, 366, 418, 419, 420, 421, 429 किता 18 रकबा 5.36 है0 व खसरा नम्बर 283, 363, 364 किता 3 रकबा 0.27 है0 वाके ग्राम हरिबल्लभपुरा, तामडिया तहसील चाकसू में पांचूराम पुत्र नहन्या के स्थान पर पांच्या उर्फ पांचूराम पुत्र सूजाराम शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है व इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.15 17:03:24 IST
Reason: SelfAttested

F:\M K JAT S.D.M. OFFICE CHAKSU\R.A.S. JR\LATTER 1560.docx